

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक

विषय : डा० सीताराम सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली का दिनांक-02.08.2011 से 14.07.2014 तक का अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक ज्ञापाक-983, दिनांक 24.06.2011 के द्वारा डा० सिंह को अपने पद का प्रभार सौंपकर अविलंब स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करने हेतु निदेशित किया गया। तत्पश्चात डा० सिंह द्वारा दिनांक 01.08.2011 के अपराहन में प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, झुमरी तिलैया, कोडरमा, झारखण्ड का प्रभार त्याग कर दिनांक 02.08.2011 को स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची सरकार के आदेश ज्ञापांक-119(2), दिनांक 22.02.2012 द्वारा डा० सिंह को बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग में योगदान करने हेतु विरमित किया गया। साथ ही प्रतिवेदित किया डा० सिंह द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची सरकार में उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। उक्त आलोक में डा० सीताराम सिंह द्वारा दिनांक 28.02.2012 को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान दिया गया।

डा० सिंह को स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-630(2) दिनांक-15.05.2013 द्वारा रोहतास जिले में पदस्थापित किया गया। उक्त आलोक में उनके द्वारा दिनांक 16.05.2013 के पूर्वाहन में को सिविल सर्जन कार्यालय, सासाराम में योगदान दिया गया तथा सिविल सर्जन, रोहतास के ज्ञापांक-879, दिनांक 20.05.2013 द्वारा उनके योगदान को स्वीकृत कर सदर अस्पताल, सासाराम में पदस्थापित किया गया। पुनः सिविल सर्जन, सासाराम के आदेश संख्या-942 दिनांक-31.05.2013 द्वारा डा० सिंह को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचस में पदस्थापित किया गया। डा० सिंह के द्वारा दिनांक 27.05.2013 से 31.05.2013 तक सदर अस्पताल, सासाराम में चिकित्सीय कार्य किया गया। उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, सासाराम द्वारा दिनांक-31.05.2013 को उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचस, रोहतास में योगदान करने हेतु विरमित कर दिया गया, परन्तु डा० सिंह योगदान नहीं कर दिनांक-01.06.2013 से 04.06.2013 तक का आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर अवकाश में चले गये। सिविल सर्जन, रोहतास के आदेश ज्ञापांक-1269 दिनांक-20.07.2013 द्वारा उन्हें अनाधिकृत अनुपस्थित मानते हुए दिनांक-01.06.2013 एवं 04.06.2013 तक के अवकाश आवेदन को अस्वीकृत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचस, रोहतास में योगदान करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु उनके द्वारा योगदान नहीं दिया गया।

विभागीय अधिसूचना संख्या-746(2) दिनांक-30.06.2014 द्वारा सासाराम से स्थानान्तरित करते हुए वैशाली जिले में पदस्थापित कर नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में प्रतिनियुक्त किया गया। इसके पश्चात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचस में दिनांक-15.07.2014 को योगदान देकर वैशाली के लिए विरमित करने का अनुरोध किया गया जिसके आलोक में सिविल सर्जन, सासाराम के आदेश ज्ञापांक-1279 दिनांक-21.07.2014 द्वारा उन्हें वैशाली के लिए विरमित किया गया। इस आदेश में यह उल्लेख है कि दिनांक-01.06.2013 से 14.07.2014 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। डा० सिंह दिनांक-28.02.2012 से 15.05.2013 तक स्वास्थ्य विभाग पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे। दिनांक-28.02.2012 से 26.08.2012 तक की अवधि का उपस्थिति पंजी उपलब्ध नहीं है तथा दिनांक-27.08.2012 से 15.05.2013 तक का उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज किया गया है।

वर्णित स्थिति में डा० सीताराम सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली के दिनांक-02.08.2011 से 14.07.2014 तक के अवधि को निम्नरूप में विनियमित करने पर विचार किया जा सकता है:-

1	दिनांक 02.08.2011 से 22.02.2012 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (उपस्थिति दर्ज नहीं रहने के कारण)
2	दिनांक 23.02.2012 से 27.02.2012 तक	-	पारगमन काल के रूप में।
3	दिनांक 28.02.2012 से 26.08.2012 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (उपस्थिति दर्ज नहीं रहने के कारण)
4	दिनांक 27.08.2012 से 15.05.2013 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)
5	दिनांक 16.05.2013 से 26.05.2013 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (सिविल सर्जन कार्यालय, सासाराम)
6	दिनांक 27.05.2013 से 31.05.2013 तक	-	कर्तव्य अवधि के रूप में।
7	दिनांक 01.06.2013 से 14.07.2014 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर-38/2022- 2067(2) पटना, दिनांक 21/8/2026

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)/डा० सीताराम सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली /प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wamank 21/8/26
सरकार के उप सचिव।
7